Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 20-03-2007

Participants : Singh Dr. Raghuvansh Prasad

an>

Title: The Minister of Rural Development laid a statement regarding 10th Plan achievements of the Ministry of Rural Development – laid.

MR. SPEAKER: Now, we take item no. 36- Statement by Minister.

You may lay it on the Table.

ग्रामीण विकास मंत्री (डा0 रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की दसवीं योजना की उपलब्धियों से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

* ग्रामीण विकास मंत्रालय में तीन विभाग अर्थात्, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल आपूर्ति विभाग हैं । इस मंत्रालय का अधिदेश ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी का उपशमन करना, ग्रामीण आधारभूत सुविधा का विकास करना तथा ग्रामीण निर्धनों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए स्वक्ष्छ पेयजल एवं स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है ।

उपर्युक्त अधिदेश के अनुसरण में, हमारा प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा है । मंत्रालय के लिए दसवीं योजना (2002-07) में 76,774 करोड़ रू0 के परिव्यय का अनुमान लगाया गया था, तथापि, पंचवर्षीय योजनावधि के कार्यों के दौरान मंत्रालय के लिए अनुमोदित वर्ष-वार संशोधित परिव्यय 114276.02 करोड़ रू0 है जो 10वीं योजना के लिए वास्तव में अनुमानित परिव्यय से लगभग 48.8% अधिक है । इसके अलावा, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत 161.75 लाख मी0 टन खाद्यान्न का भी उपयोग किया गया

है । 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संशोधित परिव्यय के वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : -

वर्ष	अनुमोदित संशोधित परिव्यय (करोड़ रू0 में)
2002-03	18376.00
2003-04	19200.00
2004-05	18216.40
2005-06	27490.00
2006-07	30993.62
कुल	114276.02

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6167/07

ग्रामीण निर्धनता को दूर करने की कार्यनीति के रूप मे , मंत्रालय देशभर में योजनावधि के दौरान, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है । तथापि, मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परिसंपतियों के सृजन के लिए, वर्ा 2004-05 में देश के 150 अत्यन्त पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज का राट्रीय कार्यक्रम (एन एफ एफ डब्ल्यू पी) भी शुरू किया गया था । 2फर वरी,2006 से देश के 200 जिलों में राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन आर ई जी ए) शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य किसी एक वित्तीय वर्ा में, ऐसे प्रत्येक परिवार को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शरीरिक श्रम वाले कार्य करना चाहते हैं, 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण परिवारों को जीविकोपार्जन संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है । इन अधिसूचित जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) और काम के बदले अनाज का राट्रीय कार्यक्रम (एन एफ एफ डब्ल्यू पी) ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन आर ई जी ए) में मिला दिया गया है । वर्ा 2007-08 के दौरान, देश के अन्य 130 जिलों में एन आर ई जी ए को लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत 28.2.2007 की स्थिति के अनुसार हुई वास्तिवक उपलब्धियों में एस जी आर वाई के अंतर्गत शुरू किए गए 69.19 लाख अलग-अलग प्रकार के कार्यों का समापन शामिल है जिसके फलस्वरूप रोजगार के 355.48 करोड़ श्रमदिवस सृजित हुए हैं जिसमें से 55.2% श्रमदिवस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए और 25.7% श्रमदिवस महिलाओं के लिए थे । इसी प्रकार, राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत, जिसे 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था, 6 लाख कार्यों पर रोजगार के 64 करोड़ श्रमदि वस सृजित करते हुए 1.66 करोड़ परिवारों को रोजगार दिए गए हैं । कुल सृजित रोजगार में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की प्रतिशतता क्रमशः 62% और 40% थी ।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्व-रोजगार कार्यक्रम का दृटिकोण ग्रामीण निर्धनों द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने से पहले उन्हें स्व-सहायता समूहों में संगठित करना है । योजनाविधि (28.2.2007 तक) के दौरान, 15.10 लाख स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं और 2.86 लाख स्व-सहायता समूहों ने आर्थिक क्रियाकलाप शुरू कर दिए थे । उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 46.91 लाख स्व-रोजगारियों (एस एच जी और व्यक्ति दोनों) को सहायता दी गई है । यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि सहायता प्राप्त कुल स्व-रोजगारियों में से 46.5% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं और इनमें 54.14% महिलाएं थी । स्व-रोजगारियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का विपणन मंत्रालय की मुख्य चिंताओं में से एक है । विपणन आधारभूत सुविधा के विकास के लिए राज्यों को सहायता मुहैया कराने के अलावा, मंत्रालय ने स्व-रोजगारियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत अंतर्राट्रीय व्यापार मेला सहित 63 " सरस " मेलों का आयोजन भी किया है ।

इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) के अंतर्गत, इस अवधि के दौरान 68.85 लाख मकानों का निर्माण / उन्नयन पहले ही किया जा चुका है तथा लगभग 6 लाख मकान निर्माणाधीन है और उनके मार्च, 2007 तक पूरे हो जाने का अनुमान है । यह बताना भी उचित होगा कि 75.3% मकान महिलाओं के नाम अथवा पति व पत्नी के नाम संयुक्त रूप से आबंटित किए गए थे । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को कार्यों की संख्या 61.5% थी । मंत्रालय ने बी पी एल सूची में बी पी एल परिवारों को रैंकिंग के आधार पर राज्यों द्वारा स्थायी आई ए वाई प्रतीक्षा सूची तैयार करने की पहलकदमी शुरू की है । यह सूची ग्राम पंचायत मुख्यालयों की दीवार पर पेंट की जानी चाहिए ताकि आई ए वाई के आबंटन के लिए एक परिवार के चयन में पारदर्शिता बनाए रखी जाए ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) एक शत -प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य है सभी संपर्करहित बसावटों को बारहमासी सड़क के जरिए संपर्क उपलब्ध कराना । फरवरी, 2007 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 216950 कि0मी0 की लम्बाई वाले कुल 62895 सड़क कार्यों के लिए कुल 42582.19 करोड़ रू0 की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं । अब तक 111579.91 कि0मी0 लम्वाई वाले 36874 सड़क कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी) , मरूभूमि विकास कार्यक्रम ,

(डी डी पा) तथा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी) नामक तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रम वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किए जा रहे हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार, 10वीं योजना के दौरान 62.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 13640 डी पी ए पी परियोजनाओं के अंतर्गत लाया गया है। इस योजना अवधि के दौरान 45.17 हेक्टेयार क्षेत्र 9034 डी डी पी परियोजनाओं के अंतर्गत लाया गया है । आई डब्ल्यू डी पी के अंतर्गत, 10वीं योजना के दौरान 68.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 1369 परियोजनाओं के अंतर्गत लाया गया ।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अन्तर्गत इस योजना अवधि के दौरान 3.12 लाख बसावटों तथा 2.05 लाख विद्यालयों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है । संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, देश के 569 जिलों को कवर किया गया है । 2001 की जनगणना के अनुसार, केवल 22% ग्रामीण बसावटों में स्वच्छता सुविधाएं थी जो अब बढ़कर 40% हो गई हैं । मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक अनेकांगी निगरानी प्रणाली बनाई है जिसमें फील्ड निरीक्षण, प्रगति पर ऑन लाइन डाटा एन्ट्री तथा स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट भेजना शामिल है । पंचायती राज संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किए गए हैं । वर्ा 2005 में, 40 ग्राम पंचायतों तथा 2006 में 770 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिए गए । वर्ा 2007 के लिए, निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए 9703 ग्राम पंचायतों, 120 ब्लॉकों तथा 2 जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । 28 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार, 10वीं योजना अवधि के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं-

(i) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण (बी पी एल)।	293.12 लाख
(ii) विद्यालय शौचालय	3.24 लाख
(iii) महिला स्वच्छता परिसर (संख्या)	9421
(iv) बालवाड़ी शौचालय (संख्या)	99825